

वह व्यक्ति जो विशेष विधि द्वारा संविदा करने के लिए अयोग्य हो (is disqualified from contracting by any law, to which he is subject) →

आमजन रूप से पक्षकारों को विधिपूर्ण तरीके से संविदा करने की स्वतंत्रता होती है, लेकिन कुछ ऐसे प्रतिबन्ध स्थापित किये गये हैं जिनके अर्तगत निम्न व्यक्ति संविदा करने के लिए अयोग्य घोषित किये गये हैं:-

- ① विवाहिता स्त्री ② व्यवसायी व्यक्ति ③ विदेशी शत्रु
- ④ निगम ⑤ विदेशी शासक ⑥ शत्रुपति ⑦ प्रव्याज मंत्री
- ⑧ मंत्री ⑨ राजदूत ⑩ अपराधी ⑪ दिवासिमा

विवाहिता स्त्री (प्रव्याज मंत्री) → मातृ वर्ष में हिन्दू-मुस्लिम विधि के अर्तगत किसी स्त्री को संविदा करने की योग्यता से प्रभावित नहीं होती।

यह उपलब्ध अधिकार है कि पत्नी आवश्यकताओं के लिए पति के श्राव को बिरवी रख सकती है, बशर्ते कि वे पति के द्वारा प्रदान न की जाय। यदि वह पति के द्वारा भरण-पोषण (प्रव्याज मंत्री) की जाती है या उसने उसके साथ रहना छोड़ दिया है तो वह पति के अधिकारों के रूप कार्य नहीं कर सकती।

② व्यवसायी व्यक्ति (Professional Man) → आंग्ल विधि में वकील अपने मुवक्किल से फीस वसूल करने के लिए वाद प्रस्तुत नहीं कर सकता है। लेकिन भारतीय विधि में अधिकारता अपने मुवक्किल ही संविदा कर सकता है, तथा फीस वसूली के लिए वाद भी प्रस्तुत कर सकता है। इस संदर्भ में निहालचंद्र बनाम फिलवर का मामला उल्लेखनीय है।

③ विदेशी शत्रु → (Alien Enemy) → मातृ वर्ष में कोई भी विदेशी व्यक्ति संविदा कर सकता है, लेकिन उस समय जब उसका देश भारत से युद्धरत है, तब वह संविदा के लिए अयोग्य व्यक्ति माना जाएगा।

④ निगम (Company) → निगम एक विधिक व्यक्ति है वह वाद प्रस्तुत कर सकता है तथा उसके

P-2 वह व्यक्ति जो विशेष विधि द्वारा संविदा करने के लिए अप्रोव्वर्षी (Disqualified from Contracting by any law, to which he is subject)

5) विदेशी शासक - (Foreign Sovereigns) → शाब्दिकतया विदेशी शासक संविदा में सम्मिलित नहीं हो सकता। इसका निर्धारण व्यवहार प्रक्रिया संहिता के उपबन्धों के अनुसार होता है।

6) विशेषाधिकार प्राप्त व्यक्ति - जैसे राष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रधानमंत्री, राज्यपाल को विशेष विधि द्वारा संविदा करने के लिए अप्रोव्वर्षी घोषित किया गया है दिवालिया (Insolvent) तथा अप्रव्वर्षी जो खजाणा (Treasury) की सहाय किसी प्रकार का संविदात्मक कार्यों का निष्पादन नहीं किया जा सकता है।